न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 181/18 (धारा 76 भू राज0 अधि0 1956) (RCMS No.2018/00199)

भूरीसिंह पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाटव निवासी गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 11.9.2006 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद उपमन वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 08.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 11.09.2006 व तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा खातेदार ताराचंद पुत्र मंगल की मृत्योपरान्त उसकी विरासत का दाखिला खारिज संख्या 724 दिनांक 26.12.2004 को उसके वारिसान भूरीसिंह पुत्र तारांचद व सफेदी बेवा ताराचंद के हक में दर्ज कर स्वीकृत किया गया। इस नामान्तकरण के विरूद्ध शारदा वगैरह ने अपील संख्या 77/05 शारदा वगैरह बनाम सफेदी वगैरह अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई। जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2006 पारित करते हुये अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 724 दिनांक 26.12.2004 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया था कि वह उत्तराधिकारियों की सम्यक जांच कर व उभयपक्ष को सुनकर समुचित अवधि में निस्तारण करें। तहसीलदार भरतपुर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 11.09.2006 की पालना में पुनः कार्यवाही करते हुये नामान्तरकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 को स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश से अपीलान्ट के व्यथित होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 11.09.2006 व तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध अपीलान्ट भूरीसिंह द्वारा उक्त अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

8-1-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 व तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 11.09.2006 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। शारदा वगैराह की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 724 दिनांक 26.12.2004 वाकै ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील को अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 11.09.2006 के द्वारा स्वीकार करते हुए नामान्तकरण संख्या 724 दिनांक 26.12.2004 को निरस्त किया तथा प्रकरण मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच करने हेतु रिमाण्ड किया गया था। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 11.09.2006 की पालना में तहसीलदार भरतपुर द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच किये विना अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार भरतपुर द्वारा मृतक खातेदार ताराचंद के वारिसान की विधिवत जॉच नहीं की गई है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा गैर कानूनी तरीके से कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 स्वीकृत किया गया है। अदालत तहत ने यह गौर नहीं किया कि नामान्तरकरण संख्या 724 ताराचंद के विधिक वारिसान की वावत स्वीकृत किया गया है जबकि शारदा व प्रेमसिंह वगैरह ताराचंद के वारिसान नहीं थे। तहत अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलान्ट की वंशावली व शारदा व प्रेमसिंह की वंशावली अलग–अलग है। जिसकी पुष्टि मीमो आफ अपील के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित सजरा से भलीभांति हो रही है। शारदा वगैराह का अपीलान्ट से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित करने में अदालत तहत ने भारी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा शारदा वगैराह की वंशावली के वावत समस्त दस्तावेज अदालत तहत में पेश किये थे व गवाहों के वयान व शपथ पत्र भी पेश किये थे, लेकिन अदालत तहत ने दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये विना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा एक कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में भी प्रस्तुत की थी। जिसमें शारदा वगैराह ने उक्त दाखिल खारिज के संबंध में वताया था। उस समय अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होते ही अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2006 व इस निर्णय की पालना में तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकृत किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट जो कि मृतक ताराचंद के वारिस हैं, के नाम नामान्तकरण खोले जाने का आदेश दिया जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015

अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 11.09.2006 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच करने के बाद नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में मियाद बाहर अपील पेश की गई है, जो कि मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में अपीलान्ट के अभिभाषक ने तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से मियाद के संबंध में न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित तथ्यों को आधार मानकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे। इसी प्रकार सरकारी पैरोकार ने जबानी बहस में यह उल्लेख किया है कि तहसीलदार द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच करने के बाद अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार किया है, परन्तु तहसीलदार के कार्यालय से प्राप्त हुई नामान्तकरण संबंधी पत्रावली में इस तरह का कोई रिकार्ड संलग्न नहीं है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण नियम विरूद्ध व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 10.09.2018 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण के गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 11.09.2006 व तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 की जानकारी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में शारदा वगैराह की ओर से बताए जाने पर होने का उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न तो यह उल्लेख किया गया कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में उसके द्वारा किस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई थी और न ही यह उल्लेख किया गया कि शारदा वगैराह ने उन्हें अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 11.09.2006 व तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 के बारे में कौन सी तारीख को अवगत कराया तथा जानकारी होने के बाद किस दिनांक को उनके द्वारा अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल उन्हें कब प्राप्त हुई। तहसीलदार भरतपुर की ओर से नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की ओर से अपील संख्या 77/05 उनवानी शारदा वगैराह बनाम सफेदी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2006 में दिए गए निर्देशों के क्रम में स्वीकृत किया गया है। उक्त अपील में स्वयं अपीलान्ट रैस्पोडेन्ट संख्या 2 था। अतः यह कहा जाना कि अपीलान्ट को अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 11.09.2006 की जानकारी नहीं थी, उचित नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील के बिन्दु संख्या 5 में यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा अदालत मातहत में समस्त दस्तावेजात व गवाहों के बयान तथा शपथ पत्र आदि पेश किये थे, लेकिन अदालत तहत ने दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इससे भी यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 11.09.2006 की जानकारी रही है। जहां तक तहसीलदार भरतपुर की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध अपील पेश किये जाने का प्रश्न है तो उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध भी लगभग 2 वर्ष 9 माह के विलम्ब से अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने के संबंध में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत जो प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। उसमें भी अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी होने के कोई दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि विलम्ब के संबंध में प्रत्येक दिन का उचित व पर्याप्त कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। केवल मात्र इस आधार पर कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब व काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया अपील को अन्दर मियाद माने जाने का पर्याप्त व उचित कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि अपीलान्ट को दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए था कि उन्हें अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 की जानकारी कौन सी दिनांक को हुई। जिसका उल्लेख अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नहीं है। चूंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में तहसीलदार की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 2647 दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध 2 वर्ष 9 माह के विलम्ब से अपील पेश की गई है। इसलिए उक्त अपील को अपीलाधीन नामान्तकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर